षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{10 आषाढ़, 1941 (श0)}}{\text{1 जुलाई, 2019 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 38

(1) गृह विभाग	..	..	29
(2) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	03
(3) निगरानी विभाग	..	..	01
(4) उद्योग विभाग	..	..	02
(5) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	02
(6) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	01
		कुल योग —	38

भवन का निर्माण

*1. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत नगर थाना कटिहार को आजादी के पूर्व से आजतक टीन का एस्बेस्टस एवं खपरैल से आच्छादित जर्जर मकान में चल रहा है, जिससे पुलिसकर्मियों के साथ-साथ नागरिकों को भी कठिनाई हो रही है, साथ ही मॉडल थाना में उत्क्रमित करने हेतु सभी अर्हताएँ मौजूद हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना को मॉडल थाना में उत्क्रमित करते हुये थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

*2. श्री अवधेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखण्ड स्थित ग्राम-तरवां एक घनी आबादी वाला व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है, जो भौगोलिक रूप से उग्रवाद से प्रभावित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम-तरवां में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*3. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया सदर सुप्रसिद्ध मीना बाजार स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार में पुलिस चौकी नहीं होने के कारण व्यवसाइयों में हमेशा डर का माहौल बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग चालू करना

*4. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद अन्तर्गत नबीनगर प्रखण्ड के ग्राम-टंडवा सहित पूरे प्रखण्ड तथा पूरे राज्य के हस्तकरघा उद्योग कच्चे सूता के अभाव में विगत तीन वर्षों से बंद है, जिससे हस्तकरघा उद्योग में कार्यरत परिवार बेरोजगार हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार हस्ताकरघा उद्योग को चलाने हेतु कच्चा सूता की व्यवस्था कर उक्त बंद पड़े उद्योगों को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था कराना

*5. श्री अब्दुस सुबहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत डगरूआ एवं बैसा प्रखंड कार्यालयों में अग्निशामक यंत्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड कार्यालयों में अग्निशामक यंत्र के अभाव के कारण आगलगी के समय अनुमंडल मुख्यालय से अग्निशामक यंत्र को आने में काफी समय लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड कार्यालयों में अलग-अलग अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*6. श्री सत्यदेव सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कुर्था विधान सभा क्षेत्र जिला-अरवल के अन्तर्गत कुर्था डीह पंचायत खेमकरण सराय स्थित कब्रिस्तान खाता नं0-174, प्लौट नं0-603, एराजी-2.67 डी0 का अभीतक घेराबंदी नहीं हुआ है, जिसके कारण लोगों के द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराकर अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*7. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत कुम्माँ पंचायत के शमशेरपुर टोला में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व कब्रिस्तान पर से आया-जाया करते हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कभी-कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान कराना

*8. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (बी0पी0एस0एम0) के पत्रांक 488, दिनांक 7 मार्च, 2019 के द्वारा कार्यपालक सहायकों को दो वर्गों में रखते हुये वर्ग-1 (इन्ट्री लेवल) का टेक होम मानदेय प्रतिमाह 14,658 रु0 तथा 5 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत कार्यपालक सहायक को वर्ग-2 में रखते हुये 17,458 रु0 प्रतिमाह टेक होम मानदेय का निर्धारण किया गया है जो दिनांक 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक सहायकों को बी0पी0एस0एम0 के उक्त आदेश के तहत बढ़े हुये दर पर दिनांक 1 जुलाई, 2018 से देय मानदेय के अंतर शेष राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कार्यपालक सहायकों को मानदेय के अंतर राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सूचना भवन का निर्माण

*9. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला सहित पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों में सूचना भवन स्थापित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखण्ड एवं बारून प्रखण्ड में सूचना भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित प्रखण्ड सहित राज्य के सभी प्रखण्डों में सूचना भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*10. श्री (डॉ0) सी0 एन0 गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा के मौना-साहेबगंज मुख्य सड़क के साहेबगंज, थाना चौक, हथुआ मार्केट, गाँधी चौक इत्यादि चौक पर सब्जी दुकानदार द्वारा सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चौक पर सब्जी दुकानदार द्वारा किए गए अतिक्रमण से सड़क को मुक्त करने की कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

*11. श्री प्रहलाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के 28 पंचायतों की घनी आबादी एवं किसानों के फसलों के खलिहान की आग से सुरक्षा के लिए प्रखंड में एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि घर या खलिहान में आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जिला मुख्यालय लखीसराय 30 कि0 मी0 से मंगाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में फायर ब्रिगेड की गाड़ी प्रखंड मुख्यालय सूर्यगढ़ा में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*12. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के मानसी थाना को अपना भवन और भू-खण्ड नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मानसी थाना वर्तमान में राष्ट्रीय उच्च पथ के भू-खण्ड और भवन से संचालित हो रहा है, जबकि खुटिया मौजा और ठाठा और बख्तियारपुर मौजा में गैर-मजरूआ आम और खास बेलगान जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मानसी थाना हेतु भू-खण्ड अधिग्रहित कर मॉडल थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*13. डॉ0 रंजू गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड स्थित पंचायत गौड़ी के वार्ड नं0 9 में ईदगाह के पास कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से कब्रिस्तान के बगल में श्मशान घाट एवं छठ घाट होने के कारण दो समुदायों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*14. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में दूबे बगीचा कब्रिस्तान, इंदिरा नगर एवं लगन तकिया कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कार्य शुरू करना

*15. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के उन्नासो पंचगाछी के ग्राम-मीनापुर एवं बेनी जलालपुर ग्राम पंचायत के मलिकपुर में कब्रिस्तान का घेराबंदी आजतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*16. श्री सत्यदेव सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कुर्था विधान सभा क्षेत्र जिला-अरवल के कुर्था प्रखंड अन्तर्गत ग्राम+पंचायत-कोदमरई स्थित कब्रिस्तान खाना नं0 236, 222, प्लौट नं0 315, 316, एराजी 1.95 है, जिसका घेराबंदी आजतक नहीं हुआ है जिसके कारण उक्त कब्रिस्तान की जमीन का दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*17. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड में स्थित हिरमा थाना का अपना भवन नहीं है एवं हिरमा थाना सामुदायिक भवन में चल रहा है जिसके कारण थाना को प्रशासनिक कार्यों मे काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल थाना का निर्माण

*18. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखण्ड के कैमूर पहाड़ के रेहल में मॉडल थाना नहीं है जिसके कारण वर्ष 2002 में D.F.O. संजय की हत्या कर दी गयी थी एवं प्रशासनिक कार्य में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार रेहल में मॉडल थाना का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*19. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला सासाराम में खजुरियां कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण के लिये सरकार ने आवंटन देकर जनवरी, 2018 में निविदा निकलवा दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की अधूरी चहारदीवारी का निर्माण कर बिना गेट लगाये ठीकेदार द्वारा 01 साल से कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधूरे चहारदीवारी की गेट लगाने के साथ संविदा ठीकेदार पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान एवं सेवा शर्त लागू करना

'क'-*20. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से राज्यकर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के हू-ब-हू वेतनमान एवं सेवा शर्तें दी जा रही हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से ही केन्द्र सरकार के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा में 7600 के ग्रेड पे में वरीय प्रधान आप्त सचिव एवं 8700 के ग्रेड पे में प्रधान स्टाफ ऑफिसर का पद स्वीकृत रहने के बावजूद बिहार सरकार में आजतक आशुलिपिक/निजी सहायक संवर्ग में क्रमश: 7600 एवं 8700 रुपये के ग्रेड पे में पद स्वीकृत नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अनुरूप राज्य सचिवालय के आशुलिपिक/निजी सहायक संवर्ग में वेतनमान एवं सेवा शर्तें लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

'क'-नोट--वित्त विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित।

भवन का निर्माण

*21. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी छपड़ा थाना प्राईवेट भवन में चल रहा है, थाना का अपना भवन नहीं होने के कारण थाना की सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तरियानी छपड़ा थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*22. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड में स्थित बलिया बलौन थाना का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना विगत पाँच वर्षों से सामुदायिक भवन में चल रहा है जिसके कारण थाना कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है एवं प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*23. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया अनुमंडल में सरकारी आवास नहीं होने से पदाधिकारियों को आवासित होने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पदाधिकारियों के लिये आवास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

व्यवस्था कराना

*24. श्री अब्दुस सुबहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर एवं बायसी प्रखंड कार्यालय में अग्निशामक यंत्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड कार्यालयों में अग्निशामक यंत्र नहीं होने के कारण अगलगी के समय अनुमंडल मुख्यायलय से अग्निशामक यंत्र पहुँचने में काफी समय लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड कार्यालयों में अलग-अलग अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*25. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सोनगढ़ अति प्राचीन शिव मंदिर, है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह मंदिर धार्मिक न्यास से पंजीकृत है ;

(3) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी नहीं रहने के कारण इस मंदिर की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*26. श्री (मोहम्मद नवाज आलम)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आरा विधान सभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक छात्रावास संबंधी त्रैमासिक बैठक वर्षों से नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आरा द्वारा किसी भी प्रकार की बैठक या कार्यक्रम की सूचना मा० सदस्य, आरा को नहीं दिया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*27. श्रीमती पुनम देवी यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के प्रखंड-सह-अंचल, खगड़िया के लाभ गाँव (इस्माईलपुर) में कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय खोलना

*28. श्री शिवचंद्र राम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-18 में राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्रों के लिये आवासीय उच्च विद्यालय खोलने के लिये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक छात्रों के आवासीय उच्च विद्यालय खोलने के लिये वैशाली जिला में भूमि का अधिग्रहण अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिला में जमीन अधिग्रहण कर उच्च आवासीय विद्यालय खोलने की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*29. डॉ० रंजू गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखंड स्थित पंचायत कुरहर के ग्राम-सियारी के वार्ड नं० 3 में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल बना हुआ रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सीमेंट फैक्ट्री खोलना

*30. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखंड में सीमेंट बनाने का क्लिटंर पत्थर का बड़े पैमाने पर भण्डार है जहाँ बंजारी कल्याण सिमेंट फैक्ट्री डालमिया के नेतृत्व में चल रही है तथा पच्चासों साल पूर्व रोहतास प्रखंड के सटे पहाड़ी के नीचे 600 चूने भट्ठे का उद्योग स्थापित था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में बंजारी कल्याण सीमेंट फैक्ट्री के अतिरिक्त अन्य सीमेंट फैक्ट्री नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में अतिरिक्त सीमेंट फैक्ट्री खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*31. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 26 फरवरी, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''सी०डी०पी०ओ० से जब्त रुपये चूहे कुतर गये'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि निगरानी के मालखाने में साक्ष्य के रूप में रखे 10 हजार के 10 नोटों को चूहों ने कुतर दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नोटों के कुतरने से साक्ष्य के अभाव में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आरोप से बरी कर दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चुहों की इस हरकत का बहाना बनाकर साक्ष्य मिटाने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*32. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर थाना का अपना भवन तथा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिये आवास नहीं होने से कार्यों के निष्पादन तथा कागजातों के रख-रखाव तथा पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवासित होने में भारी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन सहित आवास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*33. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के लौठवा गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार लौठवा गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दार्शनिक स्थल बनाना

*34. श्री केदार प्रसाद गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला स्थित आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में 11 अगस्त, 1908 को फिरंगियों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि यह फांसी स्थल जेल के अन्दर है, जिसके कारण आम जनता को उक्त स्थल पर उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देने से वंचित रह जाना पड़ता है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बलिदान स्थल को जेल से अलग करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*35. श्री अभय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने के लिये संकल्पित है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के संकल्प के बावजूद अभीतक टिकारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोंच प्रखंड के खटनही एवं खुटहा का चौहर वाला कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास मरम्मत कराना

*36. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी एवं सुरसंड थाना का निर्माण विगत 50 वर्ष पूर्व में किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थानों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों का आवास मरम्मती के अभाव में विगत 20 वर्षों से जर्जर हो चुका है, जिससे पदस्थापित कर्मीगण को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थानों के आवास की मरम्मती करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*37. श्रीमती मंगिता देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट थाना (बेनीबाद ओ० पी०) में काण्ड सं० 373/18, दिनांक 12 नवम्बर, 2018 धारा 420, 406, 34 भा० द० वि० काण्ड दर्ज हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त काण्ड दर्ज हुये सात महीना बीत जाने के बाद भी इस काण्ड के अभियुक्तों पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुयी है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*38. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम-घाघर में दरगाह, कब्रिस्तान एवं डोभी प्रखंड के ग्राम- अच्छमा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 1 जुलाई, 2019 (ई०) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

वि० स० मु०--20, (एल० ए०)--2019-20--डी० टी० पी०--550--